

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 837] No. 837] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 6, 2016/चैत्र 17, 1938

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 6, 2016/CHAITRA 17, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली. 5 अप्रैल. 2016

का. आ. 1329(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, पशुधन का परिवहन करने वाले मोटरयानों को केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 125ड़ के उपबंधों से 30 सितम्बर, 2016 की अविध तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हों, छूट प्रदान करती है।

[फा. सं आर.टी-11036/24/2014-एम.वी.एल.]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2016

S.O. 1329(E).— In exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby exempts the motor vehicles transporting livestock from the purview of 125E of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 upto the 30th September, 2016 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. RT-11036/24/2014-MVL.]
ABHAY DAMLE, Jt. Secy.